न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

(103)

प्रकरण क्रमांक : निगरानी–नीमच/भू0रा0/2018/4943 – विरूद्ध– आदेश दिनांक 28–7–2018 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 215/2017–18 अपील

शिवनारायण पिता फकीरचन्द तेली
ग्राम सखानिया महाराज, तहसील जावद
जिला नीमच, मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– रामा पिता भग्गा भील
2– बसंतीलाल पिता नगजीराम बंजारा
3– हीरा पिता कजोड़ भील मृत वारिस
अ– कैलाशीवाई पत्नि भंवरलाल
ब– किशनलाल पिता भॅवरलाल भील
निवासीगण ग्राम सरवानिया महाराज
तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0 ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए0आर0यादव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री चंदन सिंह पवार)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 04 –2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र0क0 216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–2 ने तहसीलदार

जावद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम सरवानिया महाराज स्थित भूमि सर्वे कमांक 38/12/1 रकबा 0.599 हैक्टर उसने विक्रय पत्र दिनांक 6-3-16 से क्रय की है जिसके आधार पर राजस्व कागजात में नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार जावद ने प्रकरण कमांक 21 अ-6/15-16 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 24-6-16 पारित करके विकेता रामा पिता भग्गा भील के स्थान पर केता बसंतीलाल पिता नगजीराम बंजारा का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जावद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी जावद ने प्रकरण कमांक 45/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-11-17 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-6-16 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्र0क0 216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-6-16 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को , लेखी बहस के तथ्यों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि ग्राम सरवानिया महाराज की भूमि सर्वे कमांक 38/12/1 रकबा 0.599 हैक्टर के भूमिस्वामी रामा पुत्र भग्गा भील ने

पंजीकृत विक्रय पत्र से केता बसंतीलाल पुत्र नगजीराम बंजारा को विक्रय की है एंव विक्रय पत्र के आधार पर जांच एंव सुनवाई उपरांत तहसीलदार जावद ने प्रकरण क्रमांक 21 अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनांक 24–6–16 से केता बसंतीलाल पुत्र नगजीराम बंजारा का नामान्तरण स्वीकार किया है। इस नामान्तरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी जावद ने प्र.क. 45/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–11–17 से इस आधार पर निरस्त किया है कि इसी भूमि के संबंध में आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 212/12–13 अपील प्रचलित है इसलिये तहसीलदार को केता बसंतीलाल का नामान्तरण नहीं करना चाहिये था।

प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि रामा पुत्र भग्गा भील ने कलेक्टर नीमच से प्रकरण क्रमांक 19 अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 12–2–16 से विक्रय अनुमति मिलने के वाद पंजीकृत विक्रय पत्र से बसंतीलाल पुत्र नगजीराम बंजारा के हित में भूमि विक्रय की है। जहां तक वाद विचारित भूमि के संबंध में आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 212/12–13 अपील प्रचलित रहने का प्रश्न है? अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र0क0 216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 के पद 6 में इस अपील प्रकरण के संबंध में बताया गया है कि यह अपील प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हो गया था, फलस्वरूप कलेक्टर नीमच से प्रकरण क्रमांक 19 अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 12–2–16 से विक्रय अनुमति मिलने के वाद पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से बसंतीलाल पुत्र नगजीराम बंजारा ने भूमि क्रय की है एंव विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार ने केता का नामान्तरण किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी जावद के आदेश दिनांक 7–11–17

में निकाले गये निष्कर्ष भ्रमपूर्ण पाने से अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने आदेश दिनांक 28-7-18 में विस्तृत विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी जावद के आदेश दिनांक 7-11-17 को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 216/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–18 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर